रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30082024-256785 CG-DL-E-30082024-256785

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3371]

No. 3371]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 2024/भाद्र 8, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 2024/BHADRA 8, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली. 30 अगस्त. 2024

का.आ. 3700(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद, यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा, चमड़े और अन्य सामग्री से बने फुटवियर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, नामत: -

- 1. (1) इस आदेश को चमड़े और अन्य सामग्री से बने फुटवियर (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 कहा जाएगा।
 - (2) यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।
- 2. चमड़े और अन्य सामग्री से बने फुटवियर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 के, पैराग्राफ 2 में, तीसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः

5543 GI/2024 (1)

"बशर्ते यह भी कि इस आदेश के लागू होने से पहले निर्मित या आयातित फुटवियर के स्टॉक को भारतीय मानक ब्यूरो चिह्न के बिना, 31 जुलाई, 2026 तक की अविध के लिए बेचने अथवा प्रदर्शित करने अथवा बेचने का प्रस्ताव करने की अनुमित होगी।"

> [फा. सं. पी-27025/80/2023-चमड़ा] राजीव सिंह ठाकर, अपर सचिव

नोट- मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1421 (अ), दिनांक 15 मार्च. 2024 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department For Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 30th August, 2024

- **S.O. 3700(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order to amend the Footwear Made from Leather and other Materials(Quality Control) Order, 2024, namely:-
- 1. (1) This Order may be called the Footwear made from Leather and other Materials (Quality Control) Amendment Order, 2024.
 - (2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.
- 2. In the Footwear made from Leather and other Materials (Quality Control) Order, 2024, in paragraph 2, for the third proviso, the following proviso shall be substituted namely:

"Provided also that the stock of footwear without Bureau of Indian Standards Mark, manufactured or imported prior to the commencement of this Order, shall be permitted to be sold or displayed or offered to be sold for a period upto the 31st July, 2026".

[F. No. P-27025/80/2023-Leather]

RAJEEV SINGH THAKUR, Addl. Secy.

Note.-- The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), vide number S.O. 1421(E), dated the 15th March, 2024.